का॰ज्ञा॰सं॰ 13035/1/99-रा॰ भा॰ (नीति एवं समन्वय) दिनाक 8 फरवरी, 2000

विषय: केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन तथा उन्हें भरने के संबंध में स्पष्टीकरण।

कृषि मंत्रालय आदि कृपया व्यय प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश-वित्तीय नीति एवं सरलीकरण विषयक व्यय विभाग के दिनांक 5.8.1999 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 7(3) स्था॰/ (समन्वय)/99 देखें। इन निदेशों के जारी होने के बाद से राजभाषा विभाग से हिंदी पदों के सृजन, उन्हें भरने आदि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इस संबंध में व्यय विभाग के अनुमोदन से हिंदी पदों के सृजन, उन्हें भरने आदि के संबंध में निम्न निदेश जारी किये जाते हैं:-

(1) सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा अपेक्षित न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन उन्हें प्रत्योजित शक्तियों के अंतर्गत स्वयं किया जा सकता है, तथापि इन शक्तियों का उपयोग वित्तीय सलाहकार के परामर्श से तथा व्यय विभाग के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 10(4) स्था॰/85 (समन्वय), दिनांक 8.6.1988 के निहित मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

(2) जो हिंदी पद एक साल से ज्यादा की अवधी से खाली पड़े रहेंगे उन्हें समाप्त हुआ माना जाएगा। तथापि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन्हें प्रत्योजित शक्तियों के अंतर्गत इन पदों को पुनर्विद्यमान/पुनसृजित किया जा सकता है बशर्ते ऊपर पैरा (1) में निर्दिष्ट शर्तों व स्थितियों का अनुपालन किया जाए।

(3) मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन पदों के (बने रहने) अस्तित्व की आवश्यकता की समीक्षा के बाद ऐसे खाली पदों को भरा जाए।

(4) हिंदी पदों के सृजन/खाली पदों को पनु: बहाल करने/खाली पदों को भरने के सभी मामलों में वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) द्वारा जारी मितव्ययिता संबंधी निर्देशों में निहित भावना का पालन किया जाए।

2. इसे व्यय सचिव और सचिव (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।